न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 38 / 2023

1 शंकर पुत्र लादु जाति माली निवासी ढाणी नोनाला तन चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 26.08.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम शंकर मु.नं. पुराना नम्बर 141 / 2016 व नया मु.नं. 01 / 2022 प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता ,अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 7.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2022 (141/2016) में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 339 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.18 हैक्टैयर सरहद राजस्व ग्राम जोधपुरा तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है। उक्त जमीन का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। अपीलान्ट को बिना सुने विचारण न्यायालय ने धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र पूर्व में दिनांक 14.07.2017 को स्वीकार कर लिया जिस आलौच्य निर्णय के विरूद्ध पुर्व में अपीलांट ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील उनवानी शंकरलाल बनाम राजस्थान सरकार मु.नं. 109/2017 पेश की जो अपील माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.02.2020 को स्वीकार कर विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की कि अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.01.2022 को पुनः दर्ज कर दिनांक 26.08.2022 को गलत रूप से आलौच्य निर्णय पारित किया जिससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 339 एवं 344 खसरा नम्बर 349 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर राजस्व ग्राम जोधपुरा तहत तहसील उदयपुरवाटी अपीलान्ट के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

खातेदारी की जमीन है। उक्त जमीन में अपीलान्ट ने कभी भी बजरी का खनन करके अकृषि प्रयोजनार्थ कभी भी काम में नहीं लिया उक्त जमीन पर अपीलान्ट फसल काश्त करता है। विचारण न्यायालय ने पुनः पटवारी हल्का से एवं तहसीलदार से बिना किसी प्रकार की रिपोर्ट मंगवाये आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कानून से भूमिधारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में रेगुलर वाद पत्र पेश किया जाता है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के वाद पत्र में भी आदेश 07 नियम 1 जा.दी. के प्रावधान लागु होते है। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेगुलर वाद पत्र पेश नहीं किया। वाद पत्र के साथ डुप्लीकेट प्रति पेश नहीं की इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साधारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था। विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार उदयपुरवाटी एवं पटवारी हल्का के शपथ पूर्वक बयान हुये ना ही अपीलान्ट को शपथ पूर्वक बयानों का मौका दिया। कानून से समरी कार्यवाही के द्वारा किसी खातेदार की खातेदारी खत्म नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय ने डिक्री पारित नहीं की बिना डिक्री के किसी खातेदार को उसकी खातेदारी की जमीन से साधारण आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रति प्रेषित निर्देशों की पालना नहीं की। जमीन खसरा नम्बर 339 खसरा नम्बर 344 की किस्म बारानी 2 है तथा खसरा नम्बर 349 की किस्म चाही 1 है। उपरोक्त अनुसार गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर के खसरा गिरदावरी बनाई है जिसमें उबड़ खाबड़ बाबत कोई अंकन नहीं है। पटवारी हल्का अपनी स्वीकृति से मुकर नहीं सकता पटवारी हल्का को उपरोक्त आशय की रिपोर्ट मान्य नहीं है। अपीलान्ट वृद्ध व्यक्ति है एंव बिमार रहता है। आलौच्य निर्णय दिनांक 26.08.2022 के बारे में पहले अपीलान्ट को पता नहीं था। पटवारी हल्का के बताने पर अपीलान्ट ने 16.12.2022 को आलौच्य निर्णय की नकल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्राप्त की फिर अपीलान्ट काफी दिनों तक बिमार रहा डॉ की सलाह से घुमना फिरना यात्रा करना बन्द कर दिया। माह फरवरी के दुसरा सप्ताह में अपने अधिवक्ता से अपील तैयार करवाई। इस प्रकार उपरोक्त कारण से अपील पेश करने में हुई दुरी को माफ किया जाकर नकल प्राप्ति से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत की जावें। फिर भी किसी कारण वश अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद नहीं माने उस सुरत में दफा 5 परिसीमा अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत की जावे। अपील के साथ दफा 5 अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील मियाद बाहर है। अपीलांट की विचारण न्यायालय में जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। अपीलांट ने विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम जोधपुरा पटवार हल्का जोधपुरा में भूमि खसरा नम्बर 339 रकबा 0.23 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 344 रकबा 0. 35 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 349 रकबा 0.18 कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है किंतु उक्त विवादित भूमि में अप्रार्थी द्वारा बजरी खनन किया जा रहा जो बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं स्वीकृति से किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि कार्यो के लिए राज्य सरकार द्वारा अप्रार्थी को दी गई थी। राज्य सरकार एवं अप्रार्थी के मध्य उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनो हेतु उपयोग लेने की प्रयुक्त संविदा को खातेदारो ने भंग कर उक्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है। विचारण न्यायालय में समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात भी अपीलांट द्वारा जवाबदेही/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

अप्रार्थी को बेदखल कर सिवायचक (राजकीय भूमि) दर्ज करने के आदेश दिए। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2017 को धारा 177 के अन्तर्गत विवादित भूमि को सिवायचक घोषित किया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील संख्या 109/2017 दायर की थी। इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 06.02.2020 से इन निर्देशों के साथ प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया था कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय में इन निर्देशों के साथ पत्रावली दिनांक 27.01.2022 को पुनः दर्ज की गई। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। इसके उपरांत पत्रावली अप्रार्थी अपीलांट के जवाब में नियत चलती रही। विचारण न्यायालय ने अपीलांट की साक्ष्य प्राप्त किये बिना सीधे ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के निर्देशों की पालना किये बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय ने केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता हैं एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि कृषि से अकृषि उपयोग के संदर्भ में उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर